"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."




पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 दिसम्बर 2017—अग्रहायण 24, शक 1939

विषय—सूची



# भाग १

## राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2017

क्रमांक ई 1-01/2017/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री ईमिल लकड़ा, भा.प्र.से. (2004), विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन तथा कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**विवेक ढाँड,** मुख्य सचिव.



संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

नया रायपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2017

क्रमांक एफ 5-15/2017/1 (एक).—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री शरद कुमार गुप्ता, न्यायाधीश न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 29-11-2017 से 05-12-2017 (07 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश का लाभ लेने की स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ईमिल लकड़ा,** विशेष सचिव.

---

नया रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2017

क्रमांक ई-1-19/2017/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अशोक कुमार अग्रवाल, भा.प्र.से. (सी.जी. : 2000) द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 21-11-2017 के प्रकाश में अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवा निवृत्त प्रसुविधाएं) नियम, 1958 के नियम-16 (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्धारित 90 दिवस की कालावधि मे छूट प्रदान कर उन्हें अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने के पूर्व दिनांक 23-11-2017 (अपरान्ह) से सेवानिवृत्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**के. के. बाजपेयी,** संयुक्त सचिव.

---

नया रायपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2017

क्रमांक 1895/LV-50-230-2017-Oct./1-8/स्था.—श्री सुरेश कुमार तिवारी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, का दिनांक 04-10-2017 से 07-10-2017 तक 04 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सुरेश कुमार तिवारी, आगामी आदेश तक अवर सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सुरेश कुमार तिवारी, को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तिवारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2017

क्रमांक 1897/LV-7-273-2017-Oct./1-8/स्था.—श्री आशुतोष पाण्डेय, विशेष सहायक, माननीय मंत्री, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को दिनांक 09-10-2017 से 13-10-2017 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आशुतोष पाण्डेय, आगामी आदेश तक में विशेष सहायक, के पद पर मान. मंत्री, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री पाण्डेय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पाण्डेय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2017

क्रमांक 1899/LV-55-171-2017-Sep./1-8/स्था.—श्री सुनील विजयवर्गीय, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ मंत्रालय का दिनांक 20-09-2017 से 18-10-2017 तक 29 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सुनील विजयवर्गीय आगामी आदेश तक अवर सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सुनील विजयवर्गीय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजयवर्गीय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2017

क्रमांक 1903/आर-202/2017/1-8/स्था.—श्री एस. एन. नामदेव, सेवा-निवृत्त, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ मंत्रालय का निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किया जाता है :—

| | | |
|---|---|---|
| अर्जित अवकाश | दिनांक 18-09-2017 से 29-09-2017 | 12 दिवस |

नया रायपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2017

क्रमांक 1909/आर-4482/2017/1-8/स्था.—श्री एन. आर. रात्रे, सेवा-निवृत्त, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ मंत्रालय का निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किया जाता है :—

| | | |
|---|---|---|
| अर्जित अवकाश | दिनांक 20-09-2017 से 31-10-2017 | 42 दिवस |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**जे. एस. राजपूत,** अवर सचिव.

## आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
### मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2017

क्रमांक एफ 18-84/2016/25/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा "अनुसूचित जाति छात्रावासों में गुरू घासीदास जयंती का आयोजन नियम वर्ष 2016" की स्वीकृति प्रदान करता है, जो निम्नानुसार है :—

**अनुसूचित जाति छात्रावासों में गुरू घासीदास जयंती का आयोजन नियम वर्ष-2016**

**उद्देश्य :—** छत्तीसगढ़ राज्य में महान संत शिरोमणी गुरू घासीदास जी के जन्म दिवस की स्मृति में दिनांक 18 दिसम्बर से 31 दिसम्बर के मध्य गुरूघासीदास जयंती का आयोजन किया जाना है. उक्त आयोजन में गुरूघासीदास जी के जीवन दर्शन से संबंधित निबंध प्रतियोगिता, वाद प्रतियोगिता, लोकगीत, पंथी नृत्य आदि कार्यक्रमों का आयोजन कर उनके द्वारा बताये गये आदर्शों एवं उत्कृष्ट कार्यों का विस्तृत रूप से प्रचार-प्रसार हो सके.

**शीर्षक :—** यह नियम अनुसूचित जाति छात्रावासों में गुरू घासीदास जयंती का आयोजन नियम वर्ष-2016 कहलायेगा.

**विस्तार क्षेत्र :—** कार्यक्रम का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिलों के पो. मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रावासों में किया जायेगा.

**कार्यक्रम आयोजन :—** 1. अनुसूचित जाति छात्रावास में संबंधित छात्रावास के अधीक्षक की अध्यक्षता में 06 छात्र/छात्राओं के समिति गठित कर, अनुसूचित जाति वर्ग के स्थानीय गणमान्य/जनप्रतिनिधि की सहभागिता में कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा.

2. कार्यक्रम आयोजन पश्चात् जिले का संकलित प्रतिवेदन एवं अयोजित कार्यक्रम का फोटोग्राफ्स संबंधित जिले के सहायक आयुक्त द्वारा संचालनालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास को उपलब्ध कराया जायेगा.

**राशि का उपलब्धता :—** जिलों के पो. मै. अनुसूचित जाति छात्रावासों की संख्या एवं बजट उपलब्धता के आधार पर जिला कलेक्टर के विकल्प पर आबंटन की स्वीकृति प्रदान की जायेगी.

**सक्षम अधिकारी :—** कार्यक्रम तिथि का निर्धारण एवं कार्यक्रम में होने वाले व्यय के लिए संबंधित जिले के सहायक आयुक्त सक्षम प्राधिकारी होंगे.

**नियमों की व्याख्या :—** इन नियमों में अंतर्निहित प्रावधानों के संबंध में भारसाधक सचिव छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की व्याख्या अंतिम होगी तथा इस संबंध में अन्य ऐसे मामले जो नियम में समाहित नहीं है, उन्हीं के द्वारा अंतिम रूप से निराकृत होंगे.

**बजट शीर्ष :—** उक्त व्यय "मांग संख्या-64, मुख्य शीर्ष 2225, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, 01- अनुसूचित जातियों का कल्याण, 102 आर्थिक विकास 0103 अनुसूचित जाति उपयोजना, योजना क्रमांक-7628, अनुसूचित जाति संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास (अनुसूचित जाति छात्रावासों में गुरूघासीदास जयंती का आयोजन) 14-सहायक अनुदान, 012-अन्य अनुदान अंतर्गत विकलनीय होगा.

नया रायपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2017

क्रमांक एफ 18-85/2016/25/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा "अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति कार्यक्रम का आयोजन नियम वर्ष 2016" की स्वीकृति प्रदान करता है, जो कि निम्नानुसार है :—

## अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति कार्यक्रम का आयोजन नियम वर्ष-2016

**उद्देश्य :—** छत्तीसगढ़ राज्य में शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस की स्मृति में दिनांक 10 दिसम्बर को शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है. कार्यक्रम का उद्देश्य उनके जीवनी एवं उत्कृष्ठ कार्यो से युवा पीढ़ी को अवगत कराना है. कार्यक्रम में उनके जीवन दर्शन से संबंधित निबंध प्रतियोगिता, वाद प्रतियोगिता, लोकगीत, नृत्य आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा.

**शीर्षक :—** यह नियम अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति कार्यक्रम का आयोजन नियम वर्ष-2016 कहलायेगा.

**विस्तार क्षेत्र :—** कार्यक्रम का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिलों के पो. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में किया जायेगा.

**कार्यक्रम आयोजन :—** 1. अनुसूचित जनजाति छात्रावास में संबंधित छात्रावास के अधीक्षक की अध्यक्षता में 06 छात्र/छात्राओं के समिति गठित कर, अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्थानीय गणमान्य/जनप्रतिनिधि की सहभागिता में कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा.

2. कार्यक्रम आयोजन पश्चात् जिले का संकलित प्रतिवेदन एवं अयोजित कार्यक्रम का फोटोग्राफ्स संबंधित जिले के सहायक आयुक्त द्वारा संचालनालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास को उपलब्ध कराया जायेगा.

**राशि का उपलब्धता :—** जिलों के पो. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रावासों की संख्या एवं बजट उपलब्धता के आधार पर जिला कलेक्टर के विकल्प पर आबंटन की स्वीकृति प्रदान की जायेगी.

**सक्षम अधिकारी :—** कार्यक्रम तिथि का निर्धारण एवं कार्यक्रम में होने वाले व्यय के लिए संबंधित जिले के सहायक आयुक्त सक्षम प्राधिकारी होंगे.

**नियमों की व्याख्या :—** इन नियमों में अंतर्निहित प्रावधानों के संबंध में भारसाधक सचिव छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की व्याख्या अंतिम होगी तथा इस संबंध में अन्य ऐसे मामले जो नियम में समाहित नहीं है, उन्हीं के द्वारा अंतिम रूप से निराकृत होंगे.

**बजट शीर्ष :—** उक्त व्यय "मांग संख्या-41, मुख्य शीर्ष 2225, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, 02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, 0102 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोजना, 102-आर्थिक विकास योजना क्रमांक-9853, आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास (अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति कार्यक्रम का आयोजन) 14-सहायक अनुदान, 012-अन्य अनुदान अंतर्गत विकलनीय होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**डी. डी. कुंजाम,** संयुक्त सचिव.

---

## गृह (पुलिस) विभाग
### मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2017

क्रमांक एफ 07-12/2014/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अमरेश मिश्रा, (भापुसे-2005) पुलिस अधीक्षक, जिला दुर्ग को दिनांक 25-10-2017 से दिनांक 03-11-2017 (कुल 10 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 04 एवं 05 नवम्बर 2017 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मिश्रा आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, जिला दुर्ग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री मिश्रा को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिश्रा (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री अमरेश मिश्रा (भापुसे-2005) पुलिस अधीक्षक जिला दुर्ग के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, जिला दुर्ग का चालू प्रभार श्री शशिमोहन सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शहर, जिला दुर्ग को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2017

क्रमांक/एफ 7/20/2014/दो-गृह/भापुसे.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 07-10-2017 जिसके द्वारा श्रीमती नेहा चंपावत, (भापुसे-2004) को दिनांक 27-09-2017 से दिनांक 06-10-2017 तक (कुल 10 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है. उक्त स्वीकृत अवकाश का लाभ श्रीमती चंपावत द्वारा नहीं लिये जाने के कारण राज्य शासन एतद्द्वार उक्त आदेश को निरस्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**डी. पी. कौशल,** अवर सचिव.

## राजस्व विभाग

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 5 दिसम्बर 2017

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिए)

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 5017/03/अ-82/2017.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

| जिला (1) | तहसील (2) | नगर/ग्राम (3) | क्षेत्रफल (4) | लोक प्रयोजन का विवरण (5) |
|---|---|---|---|---|
| रायगढ़ | पुसौर | मिडमिडा | 0.624 हे. | पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य प्रयोजनार्थ |

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन की सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 21-12-2017 को समय दिन के 11.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन मिडिमिडा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| (एक) | लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण | — | पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य प्रयोजनार्थ. |
| (दो) | प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या | — | 04 (चार) |
| (तीन) | अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या | — | 16 (सोलह) |
| (चार) | प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. | — | निरंक |
| (पांच) | प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. | — | निरंक |
| (छः) | क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? | — | हां. |
| (सात) | क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ? | — | हां उल्लेखित भूमि पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य योजना हेतु प्रस्तावित है. |
| (आठ) | परियोजना की कुल लागत | — | रु. 862 लाख में. |
| (नौ) | परियोजना से होने वाला लाभ | — | निरंक |
| (दस) | प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. | — | भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसूची 2 में दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ.ग. शासन द्वारा बताई गई उपाय का अनुपालन किया जावेगा. संभावित व्यय रु. 5,00,000/- (पांच लाख) या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो. |
| (ग्यारह) | परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक | — | निरंक |

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

रायगढ़, दिनांक 5 दिसम्बर 2017

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिए)

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 5017/04/अ-82/2017.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

| जिला (1) | तहसील (2) | नगर/ग्राम (3) | क्षेत्रफल (4) | लोक प्रयोजन का विवरण (5) |
|---|---|---|---|---|
| रायगढ़ | पुसौर | बिंजकोट | 0.879 हे. | पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य प्रयोजनार्थ |

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन की सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 22-12-2017 को समय दिन के 11.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन बिंजकोट पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| (एक) | लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण | — | पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य प्रयोजनार्थ. |
| (दो) | प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या | — | 15 (पन्द्रह) |
| (तीन) | अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या | — | 28 (अट्ठाईस) |
| (चार) | प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. | — | निरंक |
| (पांच) | प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. | — | निरंक |
| (छः) | क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? | — | हां. |
| (सात) | क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ? | — | हां उल्लेखित भूमि पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य योजना हेतु प्रस्तावित है. |
| (आठ) | परियोजना की कुल लागत | — | रु. 862 लाख में. |
| (नौ) | परियोजना से होने वाला लाभ | — | निरंक |
| (दस) | प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. | — | भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसूची 2 में दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ.ग. शासन द्वारा बताई गई उपाय का अनुपालन किया जावेगा. संभावित व्यय रु. 5,00,000/- (पांच लाख) या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो. |
| (ग्यारह) | परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक | — | निरंक |

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

रायगढ़, दिनांक 5 दिसम्बर 2017

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिए)

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 5017/05/अ-82/2017.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

| जिला (1) | तहसील (2) | ग्राम/नगर (3) | क्षेत्रफल (4) | लोक प्रयोजन का विवरण (5) |
|---|---|---|---|---|
| रायगढ़ | पुसौर | घुघवा | 0.540 हे. | पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य प्रयोजनार्थ |

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन की सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 26-12-2017 को समय दिन के 11.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन घुघवा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| (एक) | लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण | — | पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य प्रयोजनार्थ. |
| (दो) | प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या | — | 09 (नौ) |
| (तीन) | अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या | — | 17 (सत्रह) |
| (चार) | प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. | — | निरंक |
| (पांच) | प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. | — | निरंक |
| (छः) | क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? | — | हां. |
| (सात) | क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ? | — | हां उल्लेखित भूमि पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य योजना हेतु प्रस्तावित है. |
| (आठ) | परियोजना की कुल लागत | — | रु. 1320 लाख में. |
| (नौ) | परियोजना से होने वाला लाभ | — | निरंक |
| (दस) | प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. | — | भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसूची 2 में दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ.ग. शासन द्वारा बताई गई उपाय का अनुपालन किया जावेगा. संभावित व्यय रु. 5,00,000/- (पांच लाख) या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो. |
| (ग्यारह) | परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक | — | निरंक |

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**शम्मी आबिदी,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 नवम्बर 2017

क्रमांक/18626/अ-82/2017.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-ओड़ेकेरा, प.ह.नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.053 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 415/1 | 0.053 |
| योग | | 0.053 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गाड़ामोर माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 नवम्बर 2017

क्रमांक/18628/अ-82/2017.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-पासीद, प.ह.नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.024 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 790 | 0.008 |
| | 1188/2 | 0.016 |
| योग | 2 | 0.024 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पासीद सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 नवम्बर 2017

क्रमांक/18630/अ-82/2017.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-नंदौरखुर्द, प.ह.नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.271 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 1139/11, 1139/2 | 0.045 |

| | (1) | (2) |
|---|---|---|
| | 1139/3 | 0.016 |
| | 1141 | 0.130 |
| | 1142/2 | 0.008 |
| | 1145/2 | 0.008 |
| | 1148/1 | 0.032 |
| | 1148/2 | 0.032 |
| योग | 7 | 0.271 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मल्दी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एस. भारतीदासन,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 21 नवम्बर 2017

क्रमांक 14/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-पुसौर
(ग) नगर/ग्राम-सुकुलभठली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.172 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 10/3 | 0.076 |
| | 13/5 | 0.012 |
| | 13/2 | 0.232 |
| | 10/2 | 0.152 |
| | 13/1 | 0.268 |
| | 13/7 | 0.020 |
| | 10/1 | 0.036 |
| | 12 | 0.268 |
| | 11/1 | 0.028 |
| | 13/3 | 0.080 |
| योग | 10 | 1.172 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अंतर्गत शारदा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**शम्मी आबिदी,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

# विभाग प्रमुखों के आदेश

## कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2017

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2017-18/6490.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक बी-8/32 (2)/भा.अधि./2016-17/2901-2902 रायपुर, दिनांक 14-07-2016 द्वारा श्री सचिन भूतड़ा डिप्टी कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), भाटापारा को कृषि उपज मण्डी समिति भाटापारा जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा का पत्र क्रमांक 588/उ.लि./2017 दिनांक 14-11-2017 द्वारा श्री अरविंद कुमार पाण्डेय, डिप्टी कलेक्टर, (अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भाटापारा को भारसाधक अधिकारी के लिए नियुक्ति करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री सचिन भूतड़ा डिप्टी कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भाटापारा के स्थान पर श्री अरविंद कुमार पाण्डेय, डिप्टी कलेक्टर (अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भाटापारा को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति भाटापारा जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

**अभिजीत सिंह,**
प्रबंध संचालक.

---

## छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
### पर्यावास भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2017

क्रमांक 3621/प्रशा./मुख्या./एफ-0200/2017.—छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 4-47/2006/32 के अनुमोदन से मण्डल छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल अधिनियम 1972 की धारा 103 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल सेवा (भर्ती) विनियम 2011 में निम्नलिखित संशोधन करता है अर्थात् :—

संशोधन

1. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 25 के खाना क्रमांक-06 की वर्तमान प्रविष्टि के अतिरिक्त पदोन्नति तथा अनुसूची-चार में जनसंपर्क अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु निम्नानुसार प्रविष्टि स्थापित किया जाता है.

   (अ) मण्डल के ऐसे तृतीय श्रेणी कर्मचारी जिनकी कुल सेवाअवधि 10 वर्ष की हुई हो.

   (ब) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में उपाधि हो.

2. यह छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन तारीख से प्रवृत्त हुआ समझा जावे.

**हेमंत कुमार वर्मा,**
अपर आयुक्त.

---

# उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

## उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2017

क्रमांक 221/दो-2-13/2009.—श्री गौतम चौरड़िया, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 25-10-2017 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2015 से 31-10-2017 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2017

क्रमांक 222/दो-3-4/2010.—श्रीमती रजनी दुबे, रजिस्ट्रार (सतर्कता), उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 10-10-2017 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2015 से 31-10-2017 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2017

क्रमांक 223/दो-2-20/2007.—श्रीमती कान्ता मार्टिन, न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उत्तर बस्तर कांकेर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 13-10-2017 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2015 से 31-10-2017 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2017

क्रमांक 224/दो-3-23/2010.—श्री शैलेश कुमार तिवारी, न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, अम्बिकापुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 04-10-2017 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2015 से 31-10-2017 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2017

क्रमांक 225/दो-3-25/2007.—श्री मंसूर अहमद, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), दुर्ग को उनके आवेदन पत्र दिनांक 04-10-2017 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2015 से 31-10-2017 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

आदेशानुसार,
**एम. पी. बिसोई,** बजट अधिकारी.